

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - श्रीधिया)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 305/25

दायर दिनांक 09/09/2025

निर्णय दिनांक 09/09/2025



क्र.सं.	नाम- श्राम	खान	रिपोर्ट			
1	<u>श्रीधिया</u>	131	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>हस्ताक्षर पुरदावर <u>प.ट. श्रीधिया</u></p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर <u>Dr. G. G. G.</u></p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>			
प्रतिलिपि पालनार्थ:-			<p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>श्रीधिया</u> प.ह. <u>श्रीधिया</u> खातासं. <u>131</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>			

1. पटवारी पटवार मण्डल श्रीधिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौडगढ